जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 283 प्रभात बीकानेर, मंगलवार 6 मई, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

'जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए सरकार को'

सेना का यह मत है, जिससे भारत की सरकार को अवगत कराया गया है

- हालांकि, सोशल मीडिया, टेलिविज़न बहस व विपक्ष का पूरा दबाव है कि भारत को जल्दी ही मजबूती से पहलगांव के बदले की कार्यवाही करनी चाहिए।
- भारतीय थल, वायु व नौसेना अध्यक्ष इस बात पर लगभग एक मत हैं, भारत की कोई भी बदले की सैन्य कार्यवाही एक दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा होनी चाहिए, केवल जल्दबाजी में बदले की भावना से कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।
- रिटायर्ड ले. जनरल, सर्वजीत सिंह ढिल्लों का इस बारे में कहना है, कि, आक्रमण कब और कैसे करने का निर्णय, भावना या दबाव में नहीं लेना चाहिए।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 5 मई। पहलगाम के घातक आतंकी हमले को दो सप्ताह हो गये। इस दौरान, देश की जनता का आक्रोश जहां दिनों-दिन बढ़ रहा है, वहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं तथा केन्द्र सरकार ने जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेने का फैसला किया है। बताया जाता है कि इसके बजाय, वे कश्मीर में आतंकवाद को प्रेरित-पोषित करने में पाकिस्तान की कथित लिप्तता से निबटने के लिए एक व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रहे हैं।

इस हमले, जिसमें देशभर के कई निर्दोष पर्यटक मारे गये, के बाद मोदी सरकार पर बदला लेने के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया, टेलिविजन की बहसें तथा राजनैतिक विपक्ष, बार-बार एक ही बात कह रहे हैं-जल्दी और निर्णायक कार्यवाही करो।

तथापि, उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार, सरकार सभी विकल्पों का आकलन बड़ी सावधानी के साथ कर रही है तथा वह पूरी और सुस्पष्ट योजना के बिना कोई सीधी सैन्य कार्यवाही करने की जल्दबाजी में नहीं है।

पिछले पूरे पखवाड़े में, शीर्ष-स्तरीय सुरक्षा मीटिंग हुईं। बताया जाता है कि थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तथा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सी सी एस) को संभावित सैन्य एवं रणनैतिक विकल्पों के बारे में जानकारी दे दी है। इन चर्चाओं के जानकार सूत्रों का कहना है कि सैन्य नेतृत्व में इस बात, पर व्यापक सहमति है कि कोई भी कार्यवाही, तात्कालिक एवं अल्पकालीन बदले के बजाय, किसी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होनी चाहिए।

एक वरिष्ठ रक्षा-अधिकारी ने, उसका नाम न बताये जाने के अनुरोध के साथ, बताया, "यह तीनों सेनाओं का सर्वसम्मत विचार है कि आतंकी इन्फ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने तथा गहरी जड़ें जमा चुके विद्रोही नैटवर्क, जो कथित रूप से पाकिस्तानी सेना तथा उसकी खुफिया एजेंसी आई एस आई द्वारा रचित एवं नियंत्रित है, को प्रभावहीन करने के लिए स्थायी एवं दीर्घकालिक प्रयासों की जरूरत है, सिर्फ एक एक्शन की नहीं।"

इन्हीं विचारों को दोहराते हुए, पुराने युद्ध-विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) सरबजीत सिंह ढिल्लों जोर देते हुए कहा कि सैन्य कार्यवाही समयबद्धता एवं राजनैतिक अत्यावश्यकता से निर्देशित नहीं हो सकती। ढिल्लों ने कहा, "जमीनी हकीकत के आकलन का काम सशस्त्र सेनाएं करती हैं तथा कोई भी मिशन शुरू करने से पहले, सेनाएं सभी भू-रणनैतिक तत्वों, भू भाग (टेरेन) तथा सम्पूर्ण सैन्य भंगिमा को ध्यान में रखती हैं, उन पर विचार करती हैं। -- हमले का आव्हान भावना या दबाव से निर्देशित एवं नियंत्रित नहीं हो सकता।"

रविवार को पत्रकारों से बात करते समय, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह इसी विचार के समर्थन में दिखाई दिये। सिंह ने कहा, "सरकार सभी विकल्पों को खंगाल रही है। हम भारत की जनता की भावनाओं से पूरी तरह परिचित हैं। राष्ट्र हमारे बहादुर सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन इसके साथ ही, हम कोई भी कार्यवाही इस तरह करेंगे कि वह रणनैतिक तथा प्रभावी हो।"

भारतीय नेतृत्व की यह सजग, किन्तु दृढ़ सोच भावावेशपूर्ण कार्यवाही की बजाय, दीर्घकालिक रोग निवारण को प्राथमिक देने का संकेत देती दिखाई दे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'राजनीतिक आधार पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए'

जयपुर, 5 मई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और सरकारी वकील सहित लोक अभियोजकों की नियुक्ति में योग्यता की अनदेखी कर उनकी राजनीतिक आधार पर नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने पूनम चंद भंडारी की जनहित याचिका पर राज्य सरकार को इस मुद्दे पर पूर्व में निस्तारित अन्य याचिका में दिए आदेशों

- हाईकोर्ट में पेश जनहित याचिका में पूर्व में दिये गये आदेशों की प्रति पेश करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिये गये।

की कॉपी पेश करने को कहा है।

जनहित याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा ने कहा कि बीते कई सालों से राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट सहित अन्य अदालतों में सरकार का पक्ष रखने के लिए राजनीतिक विचारधारा वाले वकीलों को नियुक्त किया जाता है। इनमें से कई वकील ऐसे नियुक्ति हो जाते हैं, जो वास्तव में उस पद के योग्य ही नहीं होते हैं। जिसके चलते न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। हाईकोर्ट पूर्व में इस संबंध में गंभीर टिप्पणी भी कर चुका है। याचिका में कहा गया कि यदि वकीलों की नियुक्ति उनकी योग्यता को ध्यान में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर पुलिस ने नीट में डमी कैंडिडेट बैठाने वाली गैंग पकड़ी

एस.ओ.जी. तथा ए.टी.एस. की इनपुट पर हुई कार्यवाही में पांच बदमाश गिरफ्तार हुए

- करणी विहार थाना पुलिस ने जगदम्बा नगर आवास स्थित एबीडी प्रिसटाईन के फ्लैट में दबिश देकर फर्जीवाड़े की फिराक में लगे आरोपियों को पकड़ा।

जयपुर, 5 मई। करणी विहार थाना पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए नीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया और पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान, इनके पास से परीक्षा के फर्जी दस्तावेज, ब्लूटूथ डिवाइस, सिम कार्ड सहित एडवांस में लिए पचास हजार रुपए भी बरामद किए। जानकारी के अनुसार, नीट परीक्षा के फर्जीवाड़े के संबंध में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) को इनपुट मिला था। इसके बाद जयपुर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस की प्रारम्भिक जांच में सामने आया कि डमी के रुप में परीक्षा में बैठने वाला कैंडिडेट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इसके अलावा अन्य दो आरोपी भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) अमित कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली की ओर से नीट यूजी परीक्षा-2025 का आयोजन रविवार दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हुआ था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि करणी विहार इलाके के जगदम्बा नगर धावास स्थित एबीडी प्रिसटाईन के फ्लैट में तीन-चार लड़के रहते हैं और वे नीट में फर्जीवाड़ा करने की फिराक में हैं। इस पुलिस टीम ने फ्लैट पर दबिश देकर अजीत कुमार बराला (26) निवासी चिमनपुरा चौमूं, जयपुर, सोहन लाल चौधरी (26) निवासी कुशलपुरा सामोद, जिला जयपुर और जितेन्द्र शर्मा (24) निवासी बिचपडी हरमाड़ा, जयपुर सहित, असली कैंडिडेट्स रोहित गोरा (20) निवासी मंगलम सिटी चौमूं, जयपुर और संजय चौधरी (19) निवासी गोविंद देवजी का रादा सामोद, जिला जयपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से तीन ब्लूटूथ, दो इयरबड, मोबाइल, चार सिमकार्ड,पचास हजार रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की।

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सोहन और अजीत फर्जी तरीके से परीक्षा में पास कराने के लिए पैसे लेते हैं। डमी कैंडिडेट के तौर पर जितेन्द्र को तैयार किया गया है। इसके लिए डमी कैंडिडेट की फोटो एआई टूल से एडिट की गई। उसी फोटो को फॉर्म पर लगाया जाता है। वहीं, अजीत और सोहन ने जितेन्द्र को 4 मई को हुए नीट परीक्षा में रोहित गोरा की जगह और 27 मई को होने वाली पैरा मेडिकल एग्जाम में संजय की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में तैयार किया था। पुलिस ने जितेन्द्र के कब्जे से फेक एडमिट कार्ड और एडवांस के तौर पर दिए 50 हजार रुपए बरामद किए हैं। जितेन्द्र कोप्पल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर्नाटक में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। उसका चयन 2024 में हुआ था। सोहन और अजीत राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान (एनआईए) जोरावर सिंह गेट जयपुर से पीजी कर रहे हैं और दोनों जगदम्बा नगर स्थित फ्लैट लेकर साथ रहते हैं। पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है।

'अपने चैनल पर पाकिस्तानी नागरिकों को आमंत्रित न करें'

द इण्डियन डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स व प्लेटफार्म को सलाह दी

- रजत शर्मा, जो कि एक जाने-माने टेलीविजन एंकर हैं, वर्तमान में इस डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के अध्यक्ष हैं, तथा सरकार के नज़दीकी माने जाते हैं, वैचारिक दृष्टि से।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 5 मई। इंडियन डिजिटल ब्राडकॉस्टिंग एसोसिएशन (आई डी बी ए), जो भारतीय टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का प्रतिनिधि संगठन है, तथा जिसके प्रमुख रजत शर्मा हैं, ने इंडियन ब्रॉडकास्टर्स व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एडवायजरी जारी की है कि पाकिस्तानी मेहमान को चर्चा के लिए न बुलाएं, खासकर अगर वह भारत विरोधी है तो आई डी बी ए के अधिकृत बयान के अनुसार, यह एडवायज़री सूचना व प्रसारण मंत्रालय के निर्देशानुसार मौजूदा स्थिति में सुरक्षा हालात व जनभावनाओं पर आधारित है।

पर्यवेक्षकों के अनुसार, यह एडवायज़री पाकिस्तान के विशेषज्ञों, यहां तक कि तटस्थ लोगों पर भी प्रतिबंध लगाने की दिशा में पहला कदम है। दिल्ली के एक इंडिपैंडेंट मीडिया सर्कल ने कहा, ऑनलाइन जर्नलिज्म के इस युग में ऐसे प्रतिबंध व्यवहार्य नहीं है क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ए आई पावर वाली ऐसी सामग्रियां हैं, जिन पर पारंपरिक तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।"

यह एडवायज़री भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से जारी की गई है। भारत सरकार द्विपक्षीय संबंध तोड़ने की दिशा में पहले ही कई कदम उठा चुकी है, जिसमें सिंधु का पानी रोकना और व्यापार प्रतिबंध शामिल किए गए हैं। पता चला है कि अप्रत्यक्ष व्यापार व बैक चैनल ट्रेड के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं।

आलोचकों का तर्क हैं कि मीडिया एडवायज़री का उद्देश्य केवल विदेशी भागीदारी को रोकना ही नहीं, बल्कि स्थानीय असंतोष पर भी कड़ा नियंत्रण करना है। एक वरिष्ठ संपादक, जो मोदी सरकार के प्रति आलोचनात्मक रुख के लिए जाने जाते हैं, ने इस कदम के समय व इरादे पर सवाल उठाया और कहा, हमें नहीं पता इससे कौनसा खतरा कम होगा, यह कदम सामरिक की बजाय, सांकेतिक ज्यादा है।

आई डी बी ए के अध्यक्ष रजत शर्मा जाने-माने एंकर हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के निकट माने जाते हैं। यह निर्देश प्रसारित करने में उनकी भूमिका को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस.आई. भर्ती : 15 तक सरकार निर्णय ले, वरना कोर्ट तय करेगी

जयपुर, 5 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में भर्ती के अस्तित्व को लेकर राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए अंतिम मौका देते हुए मामले की सुनवाई 15 मई को रखी है। अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया तो अदालत पक्षकारों को सुनकर अपने स्तर पर निर्णय देगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की

- जस्टिस समीर जैन ने पेपर लीक से हुई भर्ती पर राज्य सरकार को रूख स्पष्ट करने का अन्तिम मौका दिया।

ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती पर निर्णय करने के संबंध में किन्हीं कारणों से मीटिंग नहीं हो पाई है। अब सब कमेटी की यह मीटिंग 13 मई को होनी है। ऐसे में राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए समय दिया जाए। वहीं ईडी की ओर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य भंडारण निगम ने श्री शुभम लॉजिस्टिक और सहायक कंपनी के खिलाफ चल रहे मामले में "सोल आरबिट्रेटर" को हटाने की याचिका दायर की

राज्य भंडारण निगम का इन दोनों कंपनियों के खिलाफ 202 करोड़ रुपये के दावे का मामला "आरबिट्रेशन" में है

- सोल आरबिट्रेटर को हटाने के मामले में दायर याचिका में राज्य भंडारण निगम का कहना है कि सेवा निवृत्त पूर्व न्यायाधीश के.एस.सिंह को एक ही वर्ष में, एक ही मामले से जुड़ी पार्टियों के बीच सात मामलों में "सोल आरबिट्रेटर" नियुक्त किया गया।
- जबकि नीति यह है कि दो कंपनियों या दो व्यक्तियों के बीच चल रहे सिर्फ दो मामलों में ही एक व्यक्ति विशेष को सोल आरबिट्रेटर बनाया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि के.एस.राठौड़ ने मध्यस्थता के लिए नियुक्त होने से पूर्व दिये गये "डेक्लेरेशन" (कानूनी घोषणा) में भी इस तथ्य को उजागर नहीं किया।

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 5 मई। राजस्थान राज्य भण्डारण निगम ने श्री शुभम लॉजिस्टिक और उसकी सहायक कम्पनी ओरिगो कमॉडिटीज़ इण्डिया के विरूद्ध चल रहे "आरबिट्रेशन", यानि मध्यस्थता के मामले में, नियुक्त "सोल आरबिट्रेटर" (मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त एक मात्र अधिकारी) सेवानिवृत पूर्व न्यायाधीश के.एस. राठौड़ को हटाने और किसी अन्य रिटायर्ड जज या कानून के विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए वाणिज्यिक कोर्ट में याचिका दायर की है। राजस्थान राज्य भण्डारण निगम ने अपनी याचिका में कहा है कि के.एस. राठौड़ श्री शुभम लॉजिस्टिक और आरिगो कमॉडिटीज़ इण्डिया बनाम राज्य भण्डारण निगम के बीच चल रहे सात विवादों में "सोल आरबिट्रेटर" नियुक्त किये जा चुके हैं, जबकि नीति और नियम कहता है कि एक व्यक्ति विशेष को दो कंपनियों या व्यक्तियों के बीच चल रहे सिर्फ "दो" मामलों में ही सोल आरबिट्रेटर नियुक्त किया जा सकता हैं।

भण्डारण निगम का कहना है कि नीति और नियम के विरूद्ध नियुक्त किये गये "सोल आरबिट्रेटर" को हटाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बैंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, और यह फैसला मध्यस्थता कर रहे व्यक्ति विशेष की योग्यता और इसकी प्रक्रिया व संचालन निष्पक्ष रखने की दृष्टि से दिया गया है।

जैसा कि विदित है कि पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्थान राज्य भण्डारण निगम और श्री शुभम लॉजेस्टिक तथा उसकी सहायक कम्पनी ओरिगो कमॉडिटीज़ इण्डिया के बीच कृषि उपज के भण्डारण के संबंध में हुए अनुबंधन को लेकर भारी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पिछले एक वर्ष से खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। इस मामले में कृषि मंत्री किरोडी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजन लाल को शिकायती पत्र

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाकाल मंदिर में आग

उज्जैन, 05 मई। मध्यप्रदेश के उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल मंदिर परिसर में आज दोपहर अचानक आग लग गयी, जिसे दमकल वाहनों ने मौके पर पहुंचकर काबू में ले लिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोपहर लगभग 12 बजे महाकाल मंदिर के गेट नंबर एक पर आग की लपटें उठीं और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस घटना से पूरे मंदिर

- सोमवार दोपहर 12 बजे उज्जैन के महाकाल मंदिर के गेट नम्बर एक पर आग लग गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।

परिसर में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल वाहनों ने घटना के कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि महाकाल मंदिर में बने फैसिलिटी सेंटर के पास प्रदूषण बोर्ड का कंट्रोल रूम है। यह कंट्रोल रूम मंदिर के गेट नंबर एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आई.एम.एफ. के आंकलन के अनुसार भारत की इकॉनमी, जापान से आगे निकल जायेगी 2025 में

अगर यह ट्रैंड जारी रहा, तो आई.एम.एफ. के अनुसार, 2028 में, भारत की इकॉनमी जर्मनी से भी आगे निकल जायेगी

- भारत के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि, भारत की इकॉनमी, अन्य देशों की भांति, "निर्यात" पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी स्वयं की आतंरिक (इन्टरनल डिमांड) खपत इतनी है कि ट्रम्प की टैरिफ नीतियों का भी उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा, जितना अन्य देशों पर पड़ा। और ये देश "टैरिफ वॉर" की मार से तिलमिला गये हैं।
- यह बात अलग है कि, 2028 में संभावना है कि भारत की इकॉनमी 5.5 ट्रिलियन डॉलर होकर, जर्मनी की 5.2 ट्रिलियन की इकॉनमी से आगे निकल जायेगी। पर फिर भी, अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी व चीन की 14 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी से काफी पीछे है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मई। डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ -युद्ध नीतियों के कारण जब दुनिया आर्थिक उथल-पुथल के दौर में प्रवेश कर रही है, ऐसे में कहा जा रहा है कि 2025 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ) ने अपनी "वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक 2025" रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत इस वर्ष जापान को पीछे छोड़ देगा और 4.187 ट्रिलियन डॉलर की जी.डी.पी. के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

आई.एम.एफ. की यह रिपोर्ट आगे बताती है कि सन् 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी, जो कि उस वर्ष जर्मनी की 5.2 ट्रिलियन डॉलर जी.डी.पी. से अधिक होगी। इस तरह 2028 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यदि वर्तमान विकास दर जारी रही। भारत यह उपलब्धि इसलिए भी हासिल कर पा रहा है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था अन्य प्रमुख देशों की तुलना में निर्यात पर कम निर्भर है।

यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, क्योंकि 2010 में भारत विश्व की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। हालांकि, यह ध्यान रखना जरुरी है कि अमेरिका की जी.डी.पी. 30 ट्रिलियन डॉलर से अधिक और चीन की 14 ट्रिलियन डॉलर है। ऐसे में भारत को चीन से मुकाबला करने में अभी लंबा समय लगेगा, अमेरिका की तो बात ही अलग है।

तथापि, वर्तमान विकास दर को देखते हुए, आने वाले कुछ दशकों में भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

जहाँ, कई देश अमेरिका की रैसिप्रोकल (जवाबी) टैरिफ पॉलिसीज़ के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, भारत अब तक अपेक्षाकृत अप्रभावित रहा है। चीन सहित, कई देशों की अमेरिकी बाजार पर निर्भरता भारत की तुलना में कहीं अधिक है, जिससे वे अधिक प्रभावित हुए हैं।

यह स्थिति वैश्विक फंड मैनेजरों और निवेशकों का ध्यान भारत की ओर खींच रही है, और अब वे भारत को एक "सुरक्षित ठिकाने" के रुप में देखने लगे हैं। इसके परिणामस्वरुप भारतीय वित्तीय बाजार भी लगातार ऊँचाइयों को छू रहे हैं। भारत को लेकर लगातार सकारात्मक खबरों के बीच यह जरुरी है कि कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा किए गए आतंकी हमलों के प्रति जवाबी रणनीति को सोच-समझकर तैयार किया जाए, ताकि देश किसी लम्बी और थकाऊ लड़ाई में न उलझे।

पाकिस्तान के आतंकी हमलों के प्रति आकस्मिक व बिना सोची समझी प्रतिक्रियाएं भारत की आर्थिक स्थिति और नीतिगत वातावरण को प्रभावित कर सकती हैं। एक लंबा युद्ध न केवल इन्फ्लेशन (महंगाई) बढ़ाएगा, बल्कि इससे निपटने के लिए कठोर मौद्रिक उपाय भी अपनाने पड़ सकते हैं। लंबे युद्ध से देश के वित्तीय साधन तितर-बितर होंगे, इससे "फिस्कल कन्सॉलिडेशन" को भी धक्का लगेगा तथा वित्तीय नीतियों में ऐसे परिवर्तनों से भारत में जो उछाल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रदेश में लू से निपटने का एक्शन प्लान दें

जयपुर, 5 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में लू के हालातों से निपटने के लिए बनाए गए एक्शन प्लान की जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में केन्द्र सरकार सहित अन्य से जवाब पेश करने को कहा है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश

- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक्शन प्लान की जानकारी देने को कहा।

प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं अदालत ने समान बिंदु पर एकलपीठ की ओर से गत दिनों लिए प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि जब मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर मामला खंडपीठ में सुनवाई के लिए भेजा गया है तो उस विषय पर पुनः स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेने का कोई औचित्य नहीं है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)